05/3/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रा०पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। नकल से फै हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2022/120

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:54 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

वेदप्रकाश बनाम ओमप्रकाश वगैरा

किस्म मुकदमाः–212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–115/2022 (GCMS No. 2022/120)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 2 डी0डब्लयू0एस0एम0 के खाता संख्या 51/40 के पत्थर नं. 136/5 (88) के किला नं. 1 ता 20 में 5.060 हेक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रार्थी के पिता ओमप्रकाश अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से 1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपर्युक्त भूमि प्रार्थी के पिता को विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रार्थी के दादा मोटाराम पुत्र सांवलराम जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ को आवंटन हुई है। उक्त रकबा पैतृक होने से प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में पुत्र अपना हक घोषित करवा सकते है। उक्त भूमि में प्रार्थी 1/8 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का पात्र है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को अपने हिस्सा नाम करवाने के लिय कहा तो अप्रार्थी संख्या 01 ने जैर प्रकरण रकबा बो अन्य किसी को बेचान करने की धमकी दी है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर प्रकरण रकबा में पूर्व में जारी टी0आई0 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसील सूरतगढ़ के चक 2 डी0डब्लयू0एस0एम0की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 (सम्वत् 2077 से स्थायी) के खाता संख्या 51/40 की 5.060 हैक्टर कमाण्ड संयुक्त खाता भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम 1/8 हिस्सा अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति जमाबंदी सम्वत् 2042 में उक्त रकबा मोटाराम पुत्र सांवलराम कौम मेघवाल साकिन रघुनाथपुरा भूमिहिन अलॉटी अंकित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का साबित है। यदि जैर प्रकरण रकबा अन्य को बेचान हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सूरतगढ़ के चक 2 डी0डब्लयू0एस0एम0की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 (सम्वत् 2077 से स्थायी) के खाता संख्या 51/40 की 5.060 हैक्टर कमाण्ड संयुक्त खाता भूमि में उनके नाम अंकित 1/8 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा को बेचान या अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण ना करें। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar

Date: 2025.03.18 16:42:54 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)